(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1893–तीन/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 192/1994–95 अपील

रामबाबू पुत्र मुलू ग्राम परासरी
तहसील व जिला दतिया, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

सुल्ली पुत्र जोधे जाति कोरी
ग्राम परासरी तहसील व जिला दतिया ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 16 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 192/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–02–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम परासारी की भूमि सर्वे

क्रमांक 1975 रकबा 6-76 एकड़ के नामान्तरण का विवाद उभय पक्ष के बीच तहसीलदार दतिया के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 8/1991-92 अ-6 पर पंजीबद्ध हुआ तथा आदेश दिनांक 26-5-1992 से नामान्तरण के आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष अपील क्रमांक 90/91-92 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 20-3-1995 से अपील बेरूम्याद प्रस्तुत होना मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 192/1994-95 प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 14-02-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी दतिया का आदेश दिनांक 20-3-1995 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार दतिया के प्रकरण क्रमांक 8/1991-92 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 26-5-1992 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष दिनांक 1-9-92 को अर्थात लगभग 3 माह 5 दिवस वाद अपील प्रस्तुत हुई है। तत्समय में इस हेतु 45 दिवस की समयसीमा निर्धारित थी , इस प्रकार अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दि. 20-3-1995

से निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त का मानना है कि जब अपीलार्थी यह बता रहा है कि तहसील के आदेश दिनांक 26-5-92 की जानकारी उसे 20-7-92 को तहसील न्यायालय में जाने पर हुई है और दिनांक 20-7-92 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन लगाया गया, तब प्रमाणित प्रतिलिपि 4-8-92 को प्राप्त हुई है और उसके वाद 1-9-92 को अपील पेश की है। 4-8-92 से 30-8-92 तक की अवधि का स्पष्टीकरण नहीं है किन्तु विचार योग्य है कि 4-8-92 से 30-8-92 मात्र 26 दिवस का स्पष्टीकरण न देना क्या अपीलार्थी को न्याय से बंचित नहीं माना जावेगा ? स्पष्ट है कि आवेदक को मात्र 26 दिन के विलम्ब के कारण न्यायदान से बंचित करना न्याय के हनन् की श्रेणी में आवेगा, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-2-06 में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर गुणदोष के पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक एंव अनावेदक को अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 192/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-02-2006 यथोचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर